न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 02/2024 राजस्व अपील

1. रामगोपाल पुत्र कन्हैयालाल
2. गंगासहाय पुत्र कन्हैयालाल
3. संतोष पुत्र कन्हैयालाल
   समस्त जाति मीना निवासी ग्राम गुमानपुरा तहसील सिकराय उपतहसील बहरावण्डा जिला दौसा।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार उप तहसील बहरावण्डा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरूद्व नायब तहसीलदार बहरावण्डा निर्णय दिनांक 14.08.2018 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम रामगोपाल वगैरा मुकदमा नम्बर 32/2018 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम)

उपस्थिति : श्री महेन्द्र कुमार शर्मा , अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित।
: श्री राजेश शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांकः 12.03.2024

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का मरियाडा द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बहरावण्डा के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत की गई कि ग्राम गुमानपुरा के आराजी खसरा संख्या 774 रकबा 0.04 है. भूमि पर सम्वत 2075 में अपीलान्ट्स रामगोपाल, कन्हैयालाल, संतोष पुत्रान कन्हैयालाल जाति मीना निवासी ग्राम गुमानपुरा तहसील सिकराय ने अतिक्रमण कर काश्त की है। जिस पर नायब तहसीलदार द्वारा कार्यवाही करते हुये अपीलान्ट्स को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलान्ट्स को विवादित आराजी से बेदखल कर लगान दर्ज कर 50 गुणा शास्ति राशि आरोपित कर अपीलान्ट्स को 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का निर्णय दिनांक 14.08.2018 को पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 14.08.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जेर कानून नियम उपनियम के खिलाफ होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को समुचित सुनवाई व साक्ष्य सबूत का पूर्ण अवसर नहीं देकर कानून के सामान्य सिद्धान्तों की अवहेलना कर निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट्स ने किसी भी चरागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। पटवारी हल्का ने भी अपनी रिपोर्ट में यह अंकित नहीं किया कि अपीलान्ट्स ने कौनसी फसल काश्त की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का से जिरह का कोई अवसर नहीं दिया है। अपीलान्ट्स द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण ही साबित नहीं है। अपीलान्ट्स ने ग्राम गुमानपुरा तहसील सिकराय में स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 774 रकबा 0.04 है. भूमि पर से अपना अतिक्रमण हटा लिया जाना एवं वर्तमान में उक्त भूमि पूर्णतया खाली होना एवं भविष्य में अपीलान्ट्स द्वारा उक्त भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट्स स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Parik
Date: 2024.03.21 18:13:14 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पटवारी हल्का गुमानपुरा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में अपीलान्ट्स रामगोपाल, गंगासहाय, संतोष पुत्रान कन्हैया जाति मीना निवासी ग्राम गुमानपुरा तहसील सिकराय हाल तहसील बहरावण्डा द्वारा ग्राम गुमानपुरा में स्थित राजकीय भूमि खसरा संख्या 774 रकबा 0.08 है. पर तिल एवं 0.04 है. पर जौ की काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। अपीलान्ट्स अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विधि अनुसार कार्यवाही करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.08.2018 के द्वारा 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा, बेदखली व 50 गुना लगान की शास्ति से दण्डित किया गया है। राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपील अपीलान्ट्स खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट्स ने ग्राम गुमानपुरा तहसील सिकराय हाल तहसील बहरावण्डा में स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 774 रकबा 0.12 है. भूमि पर से अपना अतिक्रमण हटा लिया जाना एवं वर्तमान में उक्त भूमि पूर्णतया खाली होना एवं भविष्य में अपीलान्ट्स द्वारा उक्त भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट्स स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स इस आशय के साथ आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि अपीलान्ट्स का ग्राम गुमानपुरा तहसील सिकराय हाल तहसील बहरावण्डा में स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 774 रकबा 0.12 है. भूमि पर अतिक्रमण नहीं होने बाबत् अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्रों को तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा सत्यापित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.08.2018 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रहेगा। अन्यथा सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश दिनांक 14.08.2018 यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रति मय अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्रों के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 12.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.03.21 18:42:11 IST
Reason: SelfAttested